राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 13 अक्तूबर, 2010/21 आश्विन, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 13 अक्तूबर, 2010

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—33/2010—लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12—10—2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 8) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) मे प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

2. Amendment of Annexure-"A".—In **Annexure-"A"** to the Himachal Pradesh Election Department, Chowkidar,Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007:-

For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:-

"Pay Band: Rs. 4900-10680/- plus Rs. 1300/- Grade Pay".

By order,
Sd/-
Secretary (Election).

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 13 अक्तूबर, 2010

संख्या 5–15 / 2008–ईएलएन.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5–26 / 86–इलैक, तारीख 5 मार्च, 1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, गैस्टेटनर आपरेटर, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, गैस्टेटनर आपरेटर, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध–"क" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, गैस्टेटनर आपरेटर, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 के उपाबन्ध "क' में ;–

स्तम्भ संख्या–4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"पे बैंडः **4900-10680/-** रुपए जमा **1650/-** रुपए ग्रेड पे"।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव (निर्वाचन)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-15/2008-ELN, dated 13-10-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 13th October, 2010

No. 5-15/2008-ELN.—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules

further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Gestetner Operator, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998, notified vide this department's Notification No. 5-26/86-Elec., dated 5th March, 1998, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Gestetner Operator, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Gestetner Operator, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998;-

For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:-

"Pay Band : Rs. 4900-10680/- plus Rs. 1650/- Grade Pay"

By order,
Sd/-
Secretary (Election).

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री होशनाकी राम, निवासी महाल व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री होशनाकी राम, गांव व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती तारा देवी विधवा श्री होशनाकी राम की मृत्यु दिनांक 6–6–2003 को गांव ज्वाली में हुई थी, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब वह मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15–10–2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20–9–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित